बिहार सरकार

जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर

सिविल सर्जन कार्यालय, सदर अस्पताल, जेल रोड, बक्सर.

निविदा आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसका उद्‌देश्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना हैं। इसी उद्‌देश्य से बक्सर अर्न्तगत आने वाली सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लोक निजी साझेदारी व्यवस्था के तहत साफ–सफाई, कपडों की धुलाई, अस्पताल परिसर की साफ–सफाई/रख–रखाव/बागवानी, मरीजों का खान–पान सहित साईलेंट जेनरेटर डी0 जी0 सेट द्वारा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थानों/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/संवेदकों से कम्प्यूटरकृत आवेदन (हाथ से लिखा हुआ मान्य नहीं) में दिनांक 02.02.2017 को अपराह्न 05:00 बजें तक जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग दो लिफाफा में कर के एक बड़ा लिफाफा में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउट–सोर्सिंग के तहत सेवा प्रदान करने हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 03.02.2017 को पूर्वाहन 11:00 बजे जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, के कार्यालय प्रकोष्ट में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदादाता एक या एक से अधिक अस्पतालों के लिए निविदा डाल सकते है। निविदा के तकनीकी एवं वितिय शर्तें एवं अन्य महत्वपूर्ण कागजातों की जानकारियॉ जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर के कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट http:\\buxar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

सिविल सर्जन –सह– सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर

30-12-16

बिहार सरकार

जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर

सिविल सर्जन कार्यालय, सदर अस्पताल, जेल रोड, बक्सर.

निविदा आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना हैं। इसी उद्देश्य से बक्सर अर्न्तगत आने वाली सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लोक निजी साझेदारी व्यवस्था के तहत साफ–सफाई, कपडों की धुलाई, अस्पताल परिसर की साफ–सफाई/रख–रखाव/बागवानी, मरीजों का खान–पान सहित साईलेंट जेनरेटर डी0 जी0 सेट द्वारा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थानों/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/संवेदकों से कम्प्यूटरकृत आवेदन (हाथ से लिखा हुआ मान्य नहीं) में दिनांक 02-02-2017 को अपराहन 5...... बजें तक जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग दो लिफाफा में कर के एक बड़ा लिफाफा में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउट–सोर्सिंग के तहत सेवा प्रदान करने हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 03.02.17को अपराहन 11.... बजे जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, के कार्यालय प्रकोष्ट में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदादाता एक या एक से अधिक अस्पतालों के लिए निविदा डाल सकते है। निविदा के तकनीकी एवं वितिय शर्तें एवं अन्य महत्वपूर्ण कागजातों की जानकारियॉ जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर के कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट http:\\buxar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(क) कार्य स्थलों/क्षेत्रों की पूर्ण विवरणी।

–

(01) जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय एवं सिविल सर्जन कार्यालय।
(02) सदर अस्पताल, बक्सर
(03) अनुमंडलीय अस्पताल
(04) प्राथमिकस्वास्थ्यकेन्द्रों।
(05) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों।

(ख) जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय, सिविल सर्जन कार्यालय, अस्पताल परिसर स्थित कार्यालयों सहित अस्पताल के अंतः कक्ष की साफ–सफाई का प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन का दर अंकित करना होगा जिसकी कार्यो की विवरणी निम्नलिखित है :–

---

(01) जिला स्वास्थ्य समिति, सिविल सर्जन कार्यालय, अस्पताल परिसर स्थित कार्यालयों सहित अस्पताल के अन्तःकक्ष के सभी कमरे, वार्ड, बरामदा, शौचालय, ओ0टी, स्नानघर, पैथोलॉजी रूम, एक्स–रे रूम, अल्ट्रासाउंड रूम, सिटी स्कैन रूम, स्टोर रूम एवंम पोस्टमार्टम घर ईत्यादी की सतह एवं दीवाल में लगी टाईलस की साफ–सफाई का कार्य करना होगा।

(ग) कपड़ों की धुलाई का प्रतिमाह का दर अंकित करना होगा, जिसकी कार्यो की विवरणी निम्नलिखित है:–

---

(01) प्रत्येक बेड के वेडशीट, तकिया कवर, चादर, कम्बल, पर्दा, तोसक, पोशाक आदि रोजाना धोना, आयरन करना ।
(02) ऑपरेशन थियेटर के कपड़ों की धुलाई प्रत्येक ऑपरेशन के बाद करना।
(03) चिकित्सकों एवं पारा–मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले ऐपरॉन की धुलाई करना ।
(04) धुलाई हेतु कपड़ों का लेखा–जोखा बार्ड इंचार्ज/ओ0 टी0 इंचार्ज या अन्य अधिकृत अस्पताल कर्मी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में पंजी संधारित कर किया जाएगा।

(घ) अस्पताल का रख–रखाव तथा परिसर की साफ–सफाई/रख–रखाव/बागवानी का प्रतिमाह का दर अंकित करना होगा जिसकी कार्यो की विवरणी निम्नलिखित है :–

---

(01) सभी फर्नीचर, उपकरण, लाईट, पंखे, खिड़कियां के किनारे लगे ग्रील, दरवाजे के अंदर व बाहर सहित सभी चिकित्सकीय उपकरणों को गुणवत्तापूर्ण रसायनों का प्रयोग कर सफाई एवं रख–रखाव का कार्य किया जाना है।
(02) अस्पताल परिसर की पूरी तरह से साफ–सफाई करना एवं एकत्रित कुड़ों को कुड़ेदान में ही डालना होगा।
(03) भवन की सिलिंग, दिवाल सहित अन्य जगहों/उपकरणों में लगी झोल, धुल वगैरह को अच्छी तरह से साफ–सफाई का कार्य किया जाना है।
(04) प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थियेटर के समानों का डिस्पोजल निर्धारित स्थान पर करना होगा।
(05) मरीजों के मल–मूत्र, अवशिष्ट पदार्थो, रक्त की सफाई एवं गंदे कपडों को जमा कर निर्धारित स्थान पर फेंकना तथा चूना, गेमेक्सीन, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना होगा।
(06) मरीजों को ट्राली से पहुँचाना, बेड पेन एवं यूरेनल लगाना।
(07) अस्पताल के नालों आदि की साफ–सफाई जरूरत पड़ने पर करना होगा।
(08) अस्पताल परिसर में सदर अस्पताल के लिए 30, अनुमण्डल अस्पताल के लिए 20, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 10, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 06 जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के लिए 04, सिविल सर्जन कार्यालय के लिए 04, (4 अलग–अलग रंग का) डस्टबिन जिसका आकार 04 फीट का हो, रखना होगा।
(09) भवन के छत–छज्जा पर जल जमाव को दूर करना एवं भवन पर उगे पौधों को उखाड़ कर साफ–सफाई करना।
(10) सम्पूर्ण परिसर में जंगली घासों को समय–समय पर काटकर परिसर से बाहर हटाना एवं ग्रास कटर मशीन से समय–समय पर घास की कटाई कर सुसज्जित एवं सुशोभित करना।
(11) परिसर में लगे पेड़ों को प्रत्येक माह रंग–रोगन करना होगा।
(12) समय–समय पर नये–नये फूल–पौधे इत्यादि लगाकर एक सुन्दर बगीचा तथा हर्बल बगीचा विकसित करने हेतु पौधों एवं खाद की व्यवस्था कराना।
(13) गर्मी, बरसात एवं जाड़ा के मौसम में कम–से–कम दस प्रकार के मौसमी फूल–पौधों की व्यवस्था कर क्यारी एवं गमला में लगाना।
(14) प्रत्येक माह में फूल, पौधों पर दवा/कीटनाशक का छिड़काव करना।
(15) धुलाई एवं सिंचाई हेतु आवश्यकता अनुसार प्लास्टिक/रबर पाईप की व्यवस्था करना।
(16) सदर अस्पताल, बक्सर के लिये 150 गमले, अनुमंडल अस्पताल के लिये 125 गमले, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये 75 गमले एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये 50 गमले, जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के लिए 25 गमले, सिविल सर्जन कार्यालय के लिए 25 गमले (पौधा, मिट्टी एवं खाद सहित) की व्यवस्था करना एवं उक्त गमलों को वर्ष में तीन बार रंगाई–पोताई करना होगा।
(17) संपूर्ण परिसर, बागवानी को रोशनी उपलब्ध कराने हेतु जगह–जगह पर लगायी गयी बिजली पोल एवं बिजली संबंधित सभी सामाग्रियों को मजदूरों द्वारा परिसर की साफ–सफाई कराने के दौरान अथवा किसी कारणवश अचानक खराब होती है तो खराब होने के पश्चात तुरंत निविदादाता द्वारा उसे मरम्मति कराना होगा।

7/10/16 7/10/16 7/10/16 7/10/16

(ङ.) स्वास्थ्य, विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 648 (10) दिनांक 07.09.15 के द्वारा सरकारी अस्पताल में पाथ्य (फुल डायट नार्मल एनर्जी–2450 **Keal/Protein-36 gm.**) की अधिकतम दर 98.30 रू0 प्रतिरोगी प्रतिदिन निर्धारित की गई है, के आलोक में रोगियों के लिये भोजन का प्रतिदिन प्रतिरोगी का दर अंकित करना होगा, जिसकी कार्य की विवरणी एवं अंतः कक्ष रोगियों को निम्न मीनू के आधार पर भोजन/नास्ता कराना होगा :–

(01) सुबह के नास्ता में 06 पावरोटी, 01 अंडा, 200 मि0 ली0 दूध, मौसमी फल (जैसे–केला, सेव आदि) 01 पीस।
(02) दोपहर में रोटी एवं चावल 125 ग्राम, दाल 50 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम, दही 50 ग्राम।
(03) शाम में ग्लूकोज बिस्कुट 02 पीस, चाय 01 कप।
(04) रात में रोटी 04 पीस, दाल 50 ग्राम एवं सब्जी 100 ग्राम।

(च) साईलेंट जेनरेटर (डी0 जी0 सेट) 15 KVA, 20 KVA, 62.5 KVA, 100 KVA, 125 KVA का प्रतिमाह के आधार पर दर अंकित करना होगा, जिसकी कार्यो की विवरणी निम्नलिखित है:–

(01) जेनरेटर के साथ डीलर द्वारा जारी टाईम अनुमोदन सर्टिफिकेट समर्पित करना होगा।
(02) जेनरेटर बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार होना चाहिए।
(03) जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय एवं सिविल सर्जन कार्यालय सहित सभी स्तर के अस्पतालों के लिए जेनरेटर द्वारा आवश्यकतानुसार बिजली आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध रहनी चाहिए।
(04) प्रत्येक प्वाईट पर 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक की विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए।
(05) जेनरेटर से अस्पताल के मेन स्वीच तक जेनरेटर वाईरिंग कराना होगा।
(06) उपरोक्त वर्णित सेवाओं के लिये सामाग्री, श्रमिकों, डिजल, मोबिल, विद्युत संचरन व्यवस्था, रख–रखाव एवं सेवाउपलब्ध कराने हेतु आने वाले सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
(07) जेनरेटर का कनेक्शन अस्पताल भवन, चिकित्सक कर्तव्य कक्ष एवं अस्पताल परिसर में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी कर्मचारी/ पदाधिकारी के आवास में जनरेटर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। जेनरेटर का कनेक्शन किसी भी परिस्थिति में अस्पताल के बाहर गैर सरकारी उद्देश्य से नहीं किया जाएगा।
(08) साइलेंट जेनरेटर डी0 जी0 सेट खराब होने की स्थिति में कार्य की महत्ता एवं अनिवर्त्ता को देखते हुए तुरंत कोई भी जेनरेटर उपलब्ध कराना होगा। यदि 72 घंटे में संबंधित जेनरेटर नहीं बनायी जाती है तो रू0 1000/– प्रति दिन के दर से दंड के रूप में प्राप्त विपत्र में अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।
(09) ऑन डियूटी चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मचारी (पुरूष/महिला)/हेल्थ मैनेजर/अस्पताल मैनेजर अथवा ए0एन0एम0 द्वारा प्रतिदिन जेनरेटर परिचालन अवधि की गणना लॉगबुक पर करेंगे तथा लॉगबुक पर इनके द्वारा हस्ताक्षर (नाम पदनाम सहित) किया जायेगा।
(10) अस्पताल परिसर में PPP व्यवस्था के अन्तर्गत दिये जा रहे अन्य सेवायें जैसे एक्स–रे, रेडियोलॉजी, पोषण पुर्नवास केन्द्र इतयादि में जेनरेटर द्वारा किसी भी परिस्थिति में विद्युत आपूर्ति नहीं की जाएगी।

(छ) गैर सरकारी संस्थानों/कंपनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाणपत्रों की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर तकनीकी निविदा (प्रारूप में प्रमाणपत्रों की संख्या दर्शाते हुए) के साथ संलग्न करना होगा।

---

1. निविदा दाता–संस्था/फर्म/दुकान या प्रतिष्ठान को सोसाइटी एक्ट (निबंधन महानिरिक्षक) /उद्योग विभाग/कम्पनी एक्ट या दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम (श्रम कार्यालय) में से किसी एक कार्यालय द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वअभिप्राणित।
2. श्रम कानून के तहत बिहार सरकार के किसी भी विभाग में श्रमिकों से कार्य कराने हेतु श्रम अधीक्षक द्वारा निर्गत लेबर लाइसेंस प्रमाण–पत्र अद्यतन या नवीनीकृत संलग्न करना होगा। स्वअभिप्राणित
3. निविदा आवेदन के साथ अग्रिधन के रूप में रु0– 25000/–(रु0) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर के नाम देय होगा। स्वअभिप्राणित
4. ESI निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। स्वअभिप्राणित।
5. EPF निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। स्वअभिप्राणित।
6. संस्था का अपने संस्थान के नाम से खोली गई Current Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत कम से कम 2 (दो) लाख रुपये तक का Slovency Certificate संलग्न करना होगा। स्वअभिप्राणित।
7. वाणिज्यकर कार्यालय द्वारा निर्गत वैट प्रमाण पत्र। स्वअभिप्राणित।
8. खाद्य अनुज्ञप्ति का अद्यतन या नवीनीकृत प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। (भोजन आपूर्ति करने वाले निविदादाता के लिए अनिवार्य है) स्वअभिप्राणित।
9. सेवा कर निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। स्वअभिप्राणित।
10. सेवा कर के अधीन विगत तीन वर्षो 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का संस्थानों को अगर भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी सरकारी विभाग में की गयी कार्य (साफ–सफाई, रख–रखाव, कपड़ा धुलाई, खान–पान) मद में प्राप्त कुल राशि के आलोक में प्रति वर्ष कुल जमा की गई प्रत्येक Return एवं सेवाकर भुगतान का चालान की छायाप्रति जो स्वअभिप्रमाणित हो संलग्न करना होगा।
11. गैर सरकारी संस्थानों/कम्पनियों के नाम का पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा अगर निविदादाता फर्मो/प्रतिष्ठानों/संवेदकों का प्रोप्राईटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा। स्वअभिप्राणित।
12. केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अस्पतालों/कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के तहत साफ–सफाई, भोजन अपूर्ति, जेनरेटर का कार्य करने का विगत तीन वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निर्गत हो संलग्न करना होगा। स्वअभिप्राणित।
13. विगत तीन वर्षो 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 का आयकर Return प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। स्वअभिप्राणित।
14. नोटरी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र की उन पर किसी प्रकार का न्यायालय वाद नहीं हैं एवं दण्डित नहीं है उनकी संस्था काली सूची में दर्ज नहीं हैं मूल में संलग्न करना होगा। स्वअभिप्राणित।
15. निविदादाता द्वारा अपने गृह जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र मूल में या पूलिस अधीक्षक द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। स्वअभिप्राणित।
16. आउटसोर्सिंग के तहत सामान प्रकृति के व्यवसाय में विगत तीन वर्षो 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में औसत (प्रति वर्ष) टर्न ओवर रु0– 50 लाख रु0 होने का मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट Balance Sheet सहित संलग्न करना होगा। अगर आउटसोर्सिंग के व्यवसाय में विगत तीन वर्षो का ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगा तो उक्त परिस्थिति में उक्त तकनीकी निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। स्वअभिप्राणित।

(ज) वित्तीय निविदा में वर्णित सेवाओं हेतु सिर्फ दर अंकित किया जाना है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्नलिखित है एवं दर्शायी गयी ग्राफ के अनुसार ग्राफ में वित्तिय दर अंकित करना होगा।

(01) प्रति अस्पतालों की आंतरिक साफ–सफाई, कपड़ों की धुलाई परिसर की साफ–सफाई / रख–रखाव / बागवानी एवं मरीजों के लिये भोजन / नास्ता का न्यूनतम दर।

	टांतरिक साफ–सफाई प्रतिवर्ग मीटर प्रतिदिन का दर	कपड़ों की धुलाई प्रतिमाह का दर	परिसर की साफ सफाई / रख–रखाव / बागवानी प्रतिमाह का दर	मरीजों के लिये भोजन नास्ता प्रति मरीज प्रतिदिन का दर
जिला स्वास्थय समिति कार्यालय एवं सिविल सर्जन कार्यालय।				
सदर अस्पताल।				
अनुमंडलीय अस्पताल।				
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।				
अतिरिक्त प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र।				

(02) साइलेंट जेनरेटर डी0जी0 सेट द्वारा विद्युत परिचालन हेतु प्रतिघंटा का न्यूनतम दर।

	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 10 के.वी.ए.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 20 के.वी.ए.	सदर अस्पताल हेतू 125 के.वी.ए.	अनुमंडल अस्पताल हेतु 100 के.वी.ए.	जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन कार्यालय हेतु 15 के.वी.ए.
प्रतिघंटा					

07/10/16

07/10/16

(झ) विशेष तकनीकी एवं वित्तीय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्तो की पूर्ण विवरणी :-

(01) गैर सरकारी संस्थानों/ कम्पनियों/ फर्मों/प्रतिष्ठानों/ संवेदकों से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा 'अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में करके एक बडा लिफाफा में' सील बंद कर प्राप्त किया जायेगा। यदि निविदादाता एक से अधिक अस्पताल के लिये निविदा देते है तो वित्तीय निविदा ग्राफ में दर्शाई गई अस्पतालवार/संस्थानवार देनी होगी।

(02) गैर सरकारी संस्थानों/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/संवेदकों द्वारा निविदा जमा करने से पूर्व निविदा आवेदन केसाथ सभी प्रमाण-पत्रों का प्लास्टिक कवर लगाकर स्पाईरल बैंडिंग करके निविदा को लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा। अन्यथा बिना प्लास्टिक कवर लगाये स्पाईरल बैंडिंग प्राप्त निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(03) निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कंटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

(04) सफाई करने वालों की उम्र अधिकतम 60 वर्ष से ज्यादा एवं न्यूनतम 21 वर्ष से कम नही होगा। सफाई कर्मियों का मानसिक एवं शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।

(05) तकनीकी निविदा बिन्दुवार शर्त्तोनुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी शर्त्त पूरा नहीं करते है तो उक्त परिस्थिति में निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। यथा सभी प्रमाण-पत्रों/कागजातों को निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(06) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न तकनीकी प्रमाण-पत्रों, महत्वपूर्ण कागजातों का भौतिक सत्यापन के के दौरान एक भी निविदादाता द्वारा सभी शर्तों को पूरा करता है तो उक्त परिस्थिति में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा क्रय समिति के समक्ष खोला जा सकता है।

(07) उपरोक्त वर्णित सेवाओं के लिए सामाग्री, श्रमिकों, सभी कमरा, सभी कमरों में रखी गयी सभी प्रकार की सामाग्रियों एवं अस्पताल के आंतरिक साफ-सफाई, कपड़ों की धुलाई, परिसर का साफ-सफाई/रख-रखाव/ बागवानी मरीजों का भोजन-नास्ता, जेनरेटर परिचालन तथा तत्संबंधित सभी सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा (इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा)।

(08) जेनरेटर परिचालन करने से पूर्व निविदादाता द्वारा खरीदी गई अथवा भाड़े पर ली गई साईलेंट जेनरेटर डी0 जी0 सेट से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र, कैशममों, कागजातों की मुल प्रति जिला स्वास्थ्य समिति एवं संबंधित अस्पतालों के रोगी कल्याण समिति में मुल प्रति की स्व0 अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना होगा।

(09) यह कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जा रहा है। कार्य में संलग्न किसी भी कर्मी/श्रमिकों का सरकारी कर्मचारी के रूप में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(10) निविदादाता द्वारा कर्मियों को निर्धारित पोशाक देय होगा। स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा परिचय पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(11)किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर ब्याज देय नहीं होगा। इस कार्य के लिये किसी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(12) आवश्यक कर कटौती के बाद ही भुगतान होगा।

(13) निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र/कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व अथवा कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व अथवा किसी भी समय जांचोपरान्त फर्जी पाई जाती है तो निविदादाता के खिलाफ अविलम्ब स्थानीय थाना में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाई किया जायेगा तथा तत्काल उक्त गैर सरकारी संस्थानों/ कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/ संवेदक को अगले 10 (दस) वर्षो तक के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

(14) कार्यो की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने अथवा संस्था के किसी भी कर्मी से विवाद का लिखित शिकायत पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का ही मान्य होगा। किसी अन्य पदाधिकारी/कर्मी अथवा रोगी कल्याण समिति के किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत शिकायत मान्य नहीं होगा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की गई शिकायत आवेदन पर जिला स्वास्थ्य समिति अथवा राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा जॉचोंपरान्त ही निविदादाता को दण्डित अथवा आर्थिक दण्ड अथवा कार्यमुक्त किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना जॉचोंपरान्त संस्था पर कोई कार्यवाही/दण्ड, संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/ अस्पताल प्रशासन/ रोगी कल्याण समिति के सदस्यों के व्यक्तिगत शिकायत पर कोई कारवाई नहीं किया जायेगा।

(15) गैर सरकारी संस्थानों/कम्पनियों/फर्मो/प्रतिष्ठानों/संवेदकों से जितना कागजातो/ प्रमाणपत्रों की जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निविदा शर्तोनुकुल मांग किया गया है उतना हीं कागजात/प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति निविदादाता द्वारा निविदा शर्तोनुकुल कमवार कागजातों को निविदा आवेदन के साथ सलंग्न करना होगा। अन्यथा कमवार नही रहने एवं निविदा शर्तोनुकुल ज्यादा कागजातों/ प्रमाणपत्रों को निविदा आवेदन के साथ संलग्न किया जाता है तो उक्त परिसिथिति में उक्त निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(16) निविदा में दिये गये कार्य की महता एवं अनिवर्ता की विवरणी के अनुरूप वर्तमान में न्यूनतम कुशल श्रमिकों की मानदेय/मजदूरी के आधार पर दर अंकित करना होगा। उक्त कार्य की महता एवं अनिवार्यता के आलोक में गणना से कम राशि अंकित करने पर वितीय निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यह मान्य नहीं होगा कि दर निर्धारण के समय न्यूनतम मजदूरी से कम का दर अंकित करते हुए संस्था कहती है कि मै अपने खर्च से कार्यो का संपादन एकरारनामा के अनुरूप करूंगा।

(17) गैर सरकारी संस्थानों/ कम्पनियों/ फर्मो/प्रतिष्ठानों/ संवेदकों द्वारा नियुक्त सभी सफाई कर्मियों एवं संचालकों का अस्पताल कर्मियों, मरीजो एवं उनके परिजनों के प्रति व्यवहार मृद एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। यदि कर्मियों का व्यवहार अस्पताल प्रसासन द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में ऐसे कर्मियेां को तत्काल सेवामुक्त करते हुए नये कर्मियों की नियुक्ति निविदादाता द्वारा कि जाएगी।

(18) निविदा सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निर्धारित समय पर प्राप्त किया जायेगा। त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित समय तिथि के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

(19) निविदादाता द्वारा निविदा में सफल होने के पश्चात अभिकर्त्ता को सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के साथ एकरारनामा करना होगा एवं एकरारनामा हाने के एक माह के अन्दर निविदा शर्त्तोनुकूल कार्य प्रारंभ करना होगा।

(20) अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य होगा सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे विस्तार किया जायेगा।

(21) L1, L2 दर के आधार पर पैनल बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति में रखा जायेगा, बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले अथवा बर्खास्त किये गये गैर सरकारी संस्थानों/कंम्पनियों/फर्मो/ प्रतिष्ठानों/संवेदकों से हुई रिक्तियों को इसी पैनल के L2 वाले गैर सरकारी संस्थानों/कंम्पनियों/फर्मो/प्रतिष्ठानों/संवेदकों से समय-समय पर भरा जायेगा

(22) क्रय समिति को इस कार्य में एक या एक से अधिक तकनीकी रूप से सफल गैर सरकारी संस्थानों/कम्पनियों/ फार्मो/प्रतिष्ठानों/संवेदकों के बीच कार्यहित में निर्धारित न्यूनतम दर पर कार्य बंटवारा करने सहित अस्पताल का बटवारा करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(23) जिला स्वास्थ्य समिति को कारण बताते हुए निविदा पुर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(24) स्वास्थ्य विभाग (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार) का स्थाई/अनुबंध पर बहाल पदाधिकारी एवं कर्मचारी के संबंधी यथा माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री एवं अविवाहित भाई, बहन इस निविदा में भाग नहीं ने सकते है।

(25) गैर सरकारी संस्थानों/कम्पनियों/फर्मो/प्रतिष्ठानों/संवेदकों द्वारा निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण -पत्रों/कागजातों के प्रत्येक पन्नों पर स्व-अभिप्रमाणित कर क्रमवार नम्बरींग करना होगा। अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(26) गैर सरकारी संस्थानों/कम्पनियों/फर्मो/प्रतिष्ठानों/संवेदकों द्वारा सभी प्रमाण-पत्र/कागजात/शपथ-पत्र में गलत सूचना देने वाले निविदादाता के विरूद्ध स्थानीय थाना में एफ0आई0आर0 दर्ज करते हुए अगले दस वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

(27) श्रमिकों की कार्य करने की अवधी के दौरान सभी स्तर के अस्पतालों में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित पोशाक में श्रमिक कार्य करेंगे। जिसकी उपस्थिति संबंधित इकाई के प्रबंधकों/सक्षम पदाधिकारी अथवा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी पदाधिकारी कर्मी के पास संधारित होगा। श्रमिक की अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित पोषाक में नही रहने पर प्रतिदिन रूपये 500/- के दर से विपत्र में से कटौती की जाएगी।

(28) एकरारनामा का प्रारूप जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(29) **पाथ्य भोजन एवं नाश्ते का दर विवरणी निविदा के साथ संलग्न है।**

सिविल सर्जन सह सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति,बक्सर

24.12.16
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर

क्रम सं0	पथ्य	विवरण	राशि	निविदादाता द्वारा अंकित दर
1	फुल डायट (नार्मल) Energy-3500 Keal/Protein- 100 gm	सुबह का नास्ता	44.50 रूपये	
		भोजन (दोपहर एवं संध्या)	44.19 रूपये	
		विविध	05.00 रूपये	
		कुल	**97.69 रूपये**	
2	हाफ डायट (चिल्ड्रेन) Energy-2775 Keal/Protein- 100 gm	सुबह का नास्ता	48.70 रूपये	
		भोजन (दोपहर एवं संध्या)	38.60 रूपये	
		विविध	05.00 रूपये	
		कुल	**92.30 रूपये**	
3	लोफ फ्रुट सान्ट ब्लैंड डायट Energy-2500 Keal/Protein- 65 gm	नास्ता (सुबह–शाम)	90.30 रूपये	
		विविध	05.00 रूपये	
		कुल	**95.30 रूपये**	
4	डायबेटिक पथ्य Energy-2500 Keal/Protein-80 gm	नास्ता (सुबह–शाम)	44.00 रूपये	
		भोजन (दोपहर एवं संध्या)	41.88 रूपये	
		विविध	05.00 रूपये	
		कुल	**90.88 रूपये**	
5	पोस्ट आपरेटिभ सुपाच्य पथ्य Energy-2600 Keal/Protein- 78 gm	नास्ता (सुबह–शाम)	44.50 रूपये	
		भोजन (दोपहर एवं संध्या)	43.77 रूपये	
		विविध	05.00 रूपये	
		कुल	**93.27 रूपये**	
6	रीनल डायट–लोप्रोटिन Energy-2450Keal/Protein- 36 gm	नास्ता (सुबह–शाम)	32.10 रूपये	
		भोजन (दोपहर एवं संध्या)	61.20 रूपये	
		विविध	05.00 रूपये	
		कुल	**98.30 रूपये**	
7	ट्युब फिड लिक्विड डायट Volume 1400 ml, 1400 Keal/Protein 33 gm	फ्रुट जुस	23.43 रूपये	
		दूध	20.44 रूपये	
		सूप	16.22 रूपये	
		सी0 पी0 मिक्स	22.26 रूपये	
		विविध	05.00 रूपये	
		कुल	**87.35 रूपये**	
8	डी0 भी0 डी0 डायट Electrolyte rich Pre-Biotic Diet-1200 Cal	क्लीअर फलुड ORS	02.68 रूपये	
		लिक्वीड जूस	22.99 रूपये	
		वटर मिल्क या लस्सी	15.00 रूपये	
		भोजन	43.20 रूपये	
		विविध	05.00 रूपये	
		कुल	88.87 रूपये	

07/10/16 3/10/16